



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

माखनपुरम परिसर, म.प्र. राज्य शूटिंग अकादमी के सामने, पोस्ट बरखेड़ा नाथू,
बिसनखेड़ी, भोपाल(म.प्र.)462044

वेबसाइट - www.mcu.ac.in

आवासीय छात्र एवं छात्राओं (बालक एवं कन्या छात्रावास) मेस संचालन (भोजन व्यवस्था) हेतु निविदा प्रपत्र (2026-27)

निविदा फार्म जारी करने की तिथि : 07/07/2026

निविदा अवधि वृद्धि सूचना :

निविदा फार्म का शुल्क जीएसटी सहित (प्रति मेस) : रु. 5900/-

(रु.5000/-जोडे जीएसटी 18 प्रतिशत रु.900/- कुल राशि रु 5900/-)

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय : 23/07/2026

अपराह्न 03.00बजे

निविदा खोलने की तिथि एवं समय : 23/07/2026

अपराह्न 03.30 बजे

अमानत राशि/प्रतिभूति राशि (EMD) (प्रति मेस) का विवरण

बालक छात्रावास मेस का विवरण

1. निविदा फार्म शुल्क जीएसटी सहित रु 5,900 /— का बैंक ड्राफ्ट क्रं.....
(Demand draft of rupees 5,900/- In favour of -Registrar, MCNUJC payable at Bhopal)
2. बैंक का नाम एवं दिनांक
3. अमानत राशि (EMD) रु 50,000 /— का बैंक ड्राफ्ट क्रं.....
(Demand draft of rupees 50,000/- In favour of -Registrar, MCNUJC payable at Bhopal)
4. बैंक का नाम एवं दिनांक.....

कन्या छात्रावास मेस का विवरण

1. निविदा फार्म शुल्क जीएसटी सहित रु 5,900 /— का बैंक ड्राफ्ट क्रं.....
(Demand draft of rupees 5,900/- In favour of -Registrar, MCNUJC payable at Bhopal)
2. बैंक का नाम एवं दिनांक
3. अमानत राशि (EMD) रु 50,000 /— का बैंक ड्राफ्ट क्रं.....
(Demand draft of rupees 50,000/- In favour of -Registrar, MCNUJC payable at Bhopal)
4. बैंक का नाम एवं दिनांक.....

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर (सील सहित).....दिनांक.....

नोट:- A लिफाफे में केवल निविदा शुल्क (जीएसटी सहित) एवं अमानत राशि के बैंक डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करें एवं सील बन्द करें।

निविदा प्रपत्र (तकनीकी बिड)

प्रति,
कुलसचिव,
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार
विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)।

विषय:- आवासीय छात्र एवं छात्राओं (बालक एवं कन्या छात्रावास) मेस संचालन (भोजन व्यवस्था) हेतु निविदा प्रपत्र (2026-27)

महोदय,

उपरोक्त विषय से संबंधित दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित निविदा क्रमांक..... / भण्डार /भोपाल, दिनांक..... के संबंध में निवेदन है कि, हमने निविदा प्रपत्र में उल्लेखित समस्त नियमों/शर्तों/निर्देशों/परिशिष्ट I एवं तकनीकी विवरण परिशिष्ट II का भली-भांति सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया है जो कि हमें पूर्ण रूप से स्वीकार्य है। अतः हमारी फर्म द्वारा आवासीय बालक एवं कन्या छात्रावास मेस संचालन हेतु निविदा पूर्ण विवरण सहित निम्नानुसार प्रस्तुत है-

क्र.	निविदाकर्ता का विवरण	विवरण			
1	निविदा जिस छात्रावास (बालक/कन्या छात्रावास) हेतु है उसका उल्लेख करें।				
2	निविदाकर्ता फर्म का नाम				
3	निविदाकर्ता का नाम				
4	निविदाकर्ता फर्म का पूर्ण पता.				
	(4.1) दूरभाष क्रमांक				
	(4.2) e-mail.				
5	फर्म के वैध पंजीयन की प्रति (गुमास्ता)	हाँ		नहीं	
6	निविदा प्रपत्र जिसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया हो।	हाँ		नहीं	
7	फर्म का PAN क्रमांक एवं उसका प्रमाण पत्र संलग्न करें	हाँ		नहीं	
8	फर्म का GST क्रमांक एवं उसका प्रमाण पत्र संलग्न करें	हाँ		नहीं	
9	फर्म का 10 लाख टर्नओवर का प्रमाण पत्र संलग्न करें	हाँ		नहीं	
10	विगत तीन वर्षों का शासकीय/कारपोरेट/संस्थागत में मेस संचालन कार्य का अनुभव प्रमाण संलग्न करें	हाँ		नहीं	
11	विगत 3 वित्तीय वर्षों का ITR (आयकरी विवरण) संलग्न	हाँ		नहीं	
12	खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI का पंजीयन/गुमास्ता प्रमाण पत्र संलग्न करें	हाँ		नहीं	
13	ब्लैक लिस्ट न होने का शपथ पत्र (प्रारूप संलग्न)	हाँ		नहीं	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर (सील सहित).....दिनांक.....

PRICE-BID
(वित्तीय निविदा)

प्रति,
कुलसचिव,
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय,
भोपाल (म.प्र.)

फर्म का नाम

पता—

.....

फैक्स नं.....फोन नं./मोबाईल नं.

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम बालक छात्रावास/मॉ नर्मदा कन्या छात्रावास मेस संचालन हेतु
वित्तीय बोली विवरण अनुसार दरें

क्रमांक	विवरण	प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन (समस्त कर सहित) दर अकों में एवं शब्दों में
1	डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम बालक छात्रावास मेस संचालन हेतु दरें	
2	मॉ नर्मदा कन्या छात्रावास मेस संचालन हेतु दरें	

नोट :- मेस संचालन हेतु रुपये 95/- (रुपये पिंचानबे मात्र) समस्त कर सहित प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन से नीचे की निविदा मान्य नहीं होगी। एक समान दर प्राप्त होने पर तकनीकी मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकता क्रम का चयन किया जाएगा।

(निविदाकर्ता की सील मुद्रा सहित हस्ताक्षर)

निविदा आवेदन एवं प्रक्रिया संबंधी जानकारी

1. निविदा प्रपत्र www.mcu.ac.in से डाउनलोड करें या विश्वविद्यालय की भण्डार शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।
2. यह निविदा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम बालक छात्रावास एवं मॉ नर्मदा कन्या छात्रावास मेस संचालन हेतु आमंत्रित की जा रही हैं।
3. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम बालक छात्रावास एवं मॉ नर्मदा कन्या छात्रावास मेस संचालन हेतु आमंत्रित निविदा वेबसाइट www.mcu.ac.in पर उपलब्ध है। निविदा में किसी प्रकार का संशोधन होने की स्थिति में संशोधन की जानकारी वेबसाइट पर दी जावेगी।
4. **प्रक्रिया 1**— निविदा प्रपत्र का मूल्य रुपये 5,900/— (रुपये पाँच हजार नौ सौ मात्र) प्रति मेस संचालन (बालक छात्रावास या कन्या छात्रावास) हेतु है। निविदा प्रतिभूति राशि रु. 50,000/— (रुपये पचास हजार मात्र) प्रति मेस संचालन (बालक छात्रावास या कन्या छात्रावास) हेतु है। ये राशि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में **‘ए’ लिफाफे** में रखकर सील बंद करें। इसकी प्राप्ति पर ही फर्म को प्रक्रिया-2 के लिए योग्य माना जायेगा।
5. **प्रक्रिया 2**— तत्पश्चात् उपरोक्त प्रक्रिया 1 में योग्य पायी जाने वाली फर्म की ही तकनीकी निविदा खोली जावेगी। तकनीकी निविदा में दर्शित दस्तावेज व फर्म की सील एवं हस्ताक्षरित दस्तावेज **‘बी’ लिफाफे** में रखना है।
6. **प्रक्रिया 3**— तत्पश्चात् उपरोक्त प्रक्रिया 2 में योग्य पायी जाने वाली फर्मों की ही वित्तीय निविदा **‘सी’ लिफाफा** खोला जावेगा।

(निविदाकर्ता की सील मुद्रा सहित हस्ताक्षर)

निविदा की अहकारी शर्तें

1. **अनुभव:-** फर्म द्वारा पिछले 03 वित्तीय वर्षों में सम्बन्धित शासकीय/कार्पोरेट/संस्थागत में किये गये कार्य आदेश/प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करें।
2. **टर्न ओवर:-** पिछले 3 वित्तीय वर्षों में रु. 10,00,000/- (रु. दस लाख) प्रतिवर्ष औसत टर्न ओवर का होना अनिवार्य है। फर्म के टर्न ओवर की चार्टर्ड एकाउंटेंट से प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करें।
3. **इनकम टैक्स:-** विगत 03 असेसमेंट वर्षों के इनकम टैक्स प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत करें।
4. **ब्लेक लिस्ट:-** निविदा में भाग लेने वाली फर्म किसी भी शासकीय संस्था से कभी भी ब्लेक लिस्ट नहीं होना चाहिए। इस बाबत निविदाकर्ता फर्म को मूल शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जो रु. 100/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित कर विधिवत् प्रस्तुत किया जाय। शपथ-पत्र का प्रारूप संलग्न है।
5. **प्रत्येक पृष्ठ:-** निविदा प्रपत्र एवं संलग्न प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता द्वारा फर्म की मोहर लगाकर हस्ताक्षर करें। किसी भी प्रपत्र पर फर्म की मोहर एवं हस्ताक्षर न होने पर उसे प्रस्तुत किया नहीं माना जावेगा।
6. **प्रमाण-पत्र:-** संस्था/फर्म/कम्पनी के निम्न प्रमाण-पत्र संलग्न करें :-
 - 1- संबंधित क्षेत्र में संस्था का वैध पंजीयन (अद्यतन) की छायाप्रति
 - 2- खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI का पंजीयन/गुमास्ता
 - 3- GST नम्बर एवं उसका प्रमाण-पत्र
 - 4- PAN नम्बर एवं उसका प्रमाण-पत्र
7. **निर्धारित प्रपत्र:-** निविदा केवल निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी। निविदा प्रपत्र का मूल्य वापसी योग्य नहीं है।

(निविदाकर्ता की सील मुद्रा सहित हस्ताक्षर)

आवश्यक निर्देश व शर्तें

कृपया निविदा भेजे जाने के पूर्व निम्नलिखित निर्देशों/सूचना को भली-भांति पठन कर लेवें तदनुसार ही परिपूर्ण निविदा को नियत तिथि **दिनांक 23/07/2026 को दोपहर 03.00 बजे के पूर्व**, पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर/स्वयं विश्वविद्यालय की भण्डार शाखा के पते पर सील बंद लिफाफे में प्रेषित करें।

कार्य का नाम	: आवासीय छात्र एवं छात्राओं (बालक एवं कन्या छात्रावास) मेस संचालन (भोजन व्यवस्था) हेतु निविदा प्रपत्र (2026-27)
निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि	: दिनांक 23/07/2026 को दोपहर 03.00 बजे तक
निविदा प्रपत्र मूल्य जीएसटी सहित	: रु. 5,900/- (डिमाण्ड ड्राफ्ट) वापसी योग्य नहीं
अमानत राशि (EMD)	: रु. 50,000/- (डिमाण्ड ड्राफ्ट)

निम्नानुसार दस्तावेज/प्रमाण-पत्र/वांछित राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करने के उपरांत ही निविदा विश्वविद्यालय को प्रेषित करें।

1. विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप में निविदा दर (अंकों एवं शब्दों में) को पूर्ण स्पेसिफिकेशन के साथ देना होगा। जिसमें संस्था की सील मुद्रा व निविदाकर्ता के हस्ताक्षर होना आवश्यक है।
2. मेस संचालन के संबंध में केन्द्र/राज्य शासन एवं स्थानीय निकायों द्वारा समय-समय पर अधिरोपित टैक्स एवं ड्यूटीज का भुगतान समय-समय पर अनिवार्य रूप से करने का उत्तरदायित्व निविदाकर्ता का होगा।
3. यदि निविदा प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है, तो निविदा के साथ प्रपत्र मूल्य रु. 5,900/- की राशि का बैंक डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य है।
4. EMD राशि के अभाव में निविदा अधूरी मानी जाकर उक्त निविदाकार के Technical तथा Price Bid नहीं खोले जायेंगे।
5. अमान्य/असफल निविदाकर्ता की EMD मूलरूप से वापस की जायेगी।
6. जिस संस्था को कार्य-आदेश दिया जायेगा, उस संस्था की EMD को सुरक्षा निधि मानते हुए जमा कर लिया जायेगा तथा कार्य सम्पूर्ण होने पर ही सुरक्षानिधि वापस की जायेगी। उक्त राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
7. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् रु. 1000/- (रुपये एक हजार मात्र) मूल्य के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर उभयपक्षीय अनुबंध करना होगा।
8. आवंटित कार्य को करने से मना करने पर/विलंब करने पर धरोहर राशि राजसात कर ली जायेगी एवं विश्वविद्यालय निर्धारित अवधि के उपरांत अन्य फर्म से कार्य कराने के लिए स्वतंत्र रहेगा एवं इस संबंध में फर्म का कोई भी अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।
9. निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदाओं पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जावेगा।
10. विश्वविद्यालय द्वारा चाही गयी निविदा प्रतिभूति एवं अन्य आवश्यक विवरण एवं जानकारियों के अभाव में प्राप्त निविदाएं निरस्त मानी जावेगी।
11. पात्र पाई गयी संस्था से प्रथमतः एक वर्ष के लिए अनुबंध किया जाएगा।
12. विश्वविद्यालय द्वारा फर्म की कार्यक्षमता, व्यवहार एवं गुणवत्ता को देखते हुए अनुबंध की अवधि को आपसी सहमति से अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए बढ़ाया भी जा सकता है।

13. निविदा की शर्तों में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जावेगी।
14. यह निविदा अहस्तांतरणीय है।
15. निविदा खोलते समय यदि फर्म का प्रतिनिधि अनुपस्थित रहता है तो बाद में किसी भी प्रकार की आपत्ति अमान्य होगी।
16. निविदा केवल निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी।
17. वित्तीय दरें सुस्पष्ट अक्षरों में अकों एवं शब्दों में अंकित करें। काँट-छाँट अथवा अपर लेख होने की स्थिति में अमान्य होगी।
18. निविदा खोलते समय यदि निविदाकर्ता की जगह उसका प्रतिनिधि उपस्थित होता है, तो प्रतिनिधि को निविदाकर्ता से उपस्थित होने का प्राधिकार-पत्र (Authority Letter) प्रस्तुत करना होगा।
19. मेस संचालन के लिए आवंटित जगह में विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को किसी भी प्रकार की क्षति पहुचाने पर क्षतिपूर्ति करनी होगी अन्यथा जमा सुरक्षानिधि से वसूली योग्य होगी।
20. कार्य सन्तोषजनक न होने या निविदाकर्ता द्वारा शर्तों का पालन नहीं करने की स्थिति में निविदाकर्ता का आदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त किया जा सकता है एवं धरोहर राशि जब्त की जावेगी इसमें जो भी आर्थिक हानि होगी उसकी वसूली स्वीकृत निविदाकर्ता से की जावेगी। ऐसी परिस्थिति में भुगतान से कटौती का अधिकार कुलगुरु माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल के विवेकाधिकार पर सुरक्षित रहेगा।
21. **निविदा निष्पादित करने में असफल होना** – यदि एक बार सफल निविदाकर्ता को विश्वविद्यालय द्वारा निविदा स्वीकार कर प्रस्ताव दिया है एवं संबंधित निविदाकर्ता अपने निविदा निष्पादित करने में असफल होता है अथवा निविदा वापस लेना चाहता है तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जमा की गई निष्पादन प्रतिभूतिराशि विश्वविद्यालय द्वारा राजसात कर ली जायेगी।
22. **निविदाकर्ता द्वारा दी गई जानकारी एवं प्रमाण पत्रों को गलत पाये जाने की स्थिति में** – निविदाकर्ता द्वारा दी गई जानकारी एवं प्रमाण-पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदाकर्ता के विरुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी तथा उनके द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि राजसात कर ली जायेगी।
23. **विश्वविद्यालय को बिना कारण बताए निविदाओं का निरस्त करने का अधिकार होगा।**
24. **अन्य शर्तों का पालन न करना** – उक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त निविदा की शर्तों का पालन न करने पर कटौती का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
25. **कुलगुरु, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल के विशेषाधिकार—**
 - (अ) निविदाकारों द्वारा दी गई वित्तीय दर समान होने की स्थिति में विश्वविद्यालय स्व-विवेक से पैरामीटर/प्रक्रिया निर्धारित कर सफल निविदाकर्ता के निर्धारण हेतु निर्णय लेने के लिए अधिकृत होंगे। इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगी।
 - (ब) निविदा प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार की व्याख्या (Interpretation) का प्रश्न उपस्थित होने पर कुलगुरु महोदय का निर्णय अंतिम होगा।
 - (स) विश्वविद्यालय के पास किसी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को पूर्ण या आंशिक रूप से किसी भी स्तर पर स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने के अधिकार सुरक्षित हैं।
 - (द) निविदा विषयक विवाद में Sole Arbitrator कुलगुरु, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल होंगे।
 - (इ) न्यायालयीन विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार भोपाल न्यायालय होगा।

सामान्य नियम व शर्तें –

26. मेस संचालक को प्रति मेस प्रतिमाह 15,000/– (रूपये पंद्रह हजार) + (जीएसटी 18 प्रतिशत अतिरिक्त) किराया, सब मीटर के आधार पर बिजली बिल एवं रूपये 2,500/– (रूपये दो हजार पांच सौ मात्र) प्रति मेस पानी का शुल्क भी देना होगा।
27. मेस संचालन हेतु रूपये 95/– (रूपये पैंचानबे) समस्त कर सहित प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन से नीचे की निविदा मान्य नहीं होगी। एक समान दर प्राप्त होने पर तकनीकी मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकता क्रम का चयन किया जाएगा।
28. बालक छात्रावास व कन्या छात्रावास की मेस पृथक-पृथक संचालित करनी होगी। निविदाकर्ता चाहें तो सिर्फ एक मेस संचालन हेतु भी दरें दे सकते हैं।
29. मेस संचालक अपने कर्मचारियों के लिए परिसर के बाहर रहने की व्यवस्था करेगा। केवल सुबह के संचालन के लिए आवश्यक संख्या (दो कर्मचारी) में श्रमिकों को निर्धारित स्थान में रहने की अनुमति दी जाएगी। कन्या छात्रावास हेतु महिला कर्मचारी उपलब्ध कराने होंगे।
30. कन्या छात्रावास हेतु महिला कर्मचारियों को रखना होगा। अनुमति के साथ पुरुष कर्मचारी को कन्या छात्रावास में प्रवेश दिया जायेगा। जिसकी पूर्व अनुमति छात्रावास वार्डन से लेना आवश्यक होगा।
31. मेस में भोजन हेतु अनुमानित संख्या बालक छात्रावास में 100 से 150 एवं कन्या छात्रावास में 100 से 150 रहेगी।
32. यदि मेस संचालन दो पृथक-पृथक संस्थाओं को मिलता है, और किसी कारण से किसी एक संस्थान की निविदा निरस्त/समाप्त की जाती है तो दूसरी संस्था को उसी दर पर दूसरे मेस का संचालन भी करना होगा। अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय प्रशासन का होगा।

श्रम कानून और विनियम –

33. मेस संचालक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित सभी श्रम कानूनों का पालन करना होगा। भविष्य निधि अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम, निर्धारित कार्य घंटे, बोनस भुगतान, वेतन पर्ची जारी करना, अनुभव पत्र, आईडी कार्ड के प्रावधान शामिल हैं और अन्य ऐसे अधिनियम जो श्रम/श्रमिकों से संबंधित हैं लागू होंगे। दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर मेस संचालक पर जुर्माना लगाया जा सकता है एवं निविदा को समाप्त किया जा सकता है।
34. मेस संचालक को यह सुनिश्चित करना होगा कि श्रम नियमों के अनुसार मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी भुगतान किया जाए। भुगतान प्रत्येक माह की 7 तारीख तक कर्मचारी के बैंक खातों में किया जाना सुनिश्चित किया जाए। श्रमिकों को ईपीएफ और ईएसआई सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए और ऐसा करने का प्रमाण मासिक आधार पर देयक के साथ जमा करना होगा।
35. मेस संचालक बाल श्रमिकों को नियोजित नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

मेस संचालन संबंधी शर्तें –

36. मेस संचालक को विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर दोनों मेस हेतु पृथक-पृथक कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी। सभी कर्मचारियों को दो जोड़ी वर्दी प्रदान करना होगी। मेस संचालक यह सुनिश्चित करें कि कर्मचारी साफ एवं स्वच्छ वर्दी में ड्यूटी पर उपस्थित हों। कर्मचारी को काम करते समय हमेशा हाथ के दस्ताने और टोपी (Hair Net Cap) का उपयोग आवश्यक रूप से करना होगा अन्यथा संलग्न सूची अनुसार दण्ड अधिरोपित किया जायेगा।
37. नियमित दो सेमेस्टर जनवरी से जून और जुलाई से दिसम्बर के दौरान एवं गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियों के कारण छात्रावासों में प्रवेशित छात्रों की संख्या कम होने पर 50 प्रतिशत छात्रों के पूर्ण शुल्क का भुगतान विश्वविद्यालय की ओर से किया जायेगा। 50 प्रतिशत से अधिक संख्या होने पर वास्तविक छात्रों की संख्या के अनुसार शुल्क का भुगतान होगा।

38. अतिरिक्त सीलबंद खाद्य सामग्री जैसे दही, आइस्क्रीम, श्रीखंड इत्यादि एमआरपी दरों पर उपलब्ध करवाया जाना होगा। इसका भुगतान छात्र एवं छात्राओं से मेस संचालक स्वयं नकद या ऑनलाइन माध्यम से लेगा।
39. मेस संचालक को अपने व्यय पर खाद्य सामग्री का पर्याप्त स्टॉक स्वच्छतापूर्वक रखना होगा।
40. मेस संचालक किसी भी प्रकार की भोजन सामग्री को संबंधित छात्रावास के वार्डन/प्रबंधन की पूर्व अनुमति के बिना परिसर से बाहर नहीं ले जा सकेंगे।
41. मेस संचालक को मेस समिति की बैठक में भाग लेना होगा, ऐसा न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। इस बैठक में मेस संचालक स्वयं या उनके अधिकृत प्रतिनिधि जिसकी पूर्व अनुमति हो, को शामिल होना होगा। मेस समिति की बैठक में लिए गए निर्णय को मेस संचालक को मान्य करना होगा।
42. मेस संचालक कि यह जिम्मेदारी रहेगी कि किराने का सामान समय पर अनिवार्य रूप से खाद्य सामग्री आदि की आपूर्ति करने वाले छोटे और बड़े विक्रेताओं के सभी प्रकार के देयक बकाया का भुगतान करे। इस संबंध में विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। यदि अनुबंध अवधि के दौरान कोई इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो आपकी निविदा निरस्त की जा सकती है।
43. मेस संचालक मेस में कार्यरत कर्मचारियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स की सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवायें।

संरचनात्मक और उपकरण संबंधी शर्तें –

44. सिविल और इलेक्ट्रिकल से संबंधित बड़े कार्यों को पूर्ण कराने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की रहेगी। मेस में उपलब्ध लाइट बल्ब, ट्यूब लाइट, पंखे आदि चालू हालत में दिए जाएंगे। अनुबंध अवधि में यदि इनमें कोई खराबी आती है तो इसको बदलने या ठीक कराने की जिम्मेदारी मेस संचालक की होगी। अनुबंध समाप्ति/निरस्त उपरांत मेस खाली करते समय समस्त सामग्री, विद्युत एवं अन्य उपकरण चालू (Working) स्थिति में मेस संचालक को विश्वविद्यालय को प्रदान करना होगा।
45. मेस संचालन अनुबंध तिथि से मेस में उपलब्ध फर्नीचर/सामग्री (सूची अनुसार) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जायेगी उन सभी वस्तुओं के रखरखाव की जिम्मेदारी मेस संचालक की होगी। इसमें किसी भी प्रकार के नुकसान की स्थिति में सामग्री की वास्तविक कीमत का भुगतान मेस संचालक को करना होगा।
46. रसोई गैस सिलेंडरों की रिफिलिंग और उपलब्धता की जिम्मेदारी मेस संचालक की रहेगी।
47. मेस संचालक या उसके स्टाफ द्वारा मेस क्षेत्र के सिविल, विद्युत एवं बुनियादी ढांचे को यदि नुकसान/क्षति पहुँचाई जाती है तो उचित जुर्माना लगाया जाएगा। छात्रावास परिसर के भीतर अनाधिकृत प्रवेश, शराब और प्रतिबंधित सामग्री संबंधित उल्लंघनों के लिए आवश्यकतानुसार सख्त कार्रवाई/जुर्माना लगाया जाएगा।
48. मेस के कर्मचारियों को निर्धारित कक्ष के अलावा कोई आवास उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। इस उपलब्ध स्थान की साफ सफाई की जिम्मेदारी मेस संचालक की होगी।
49. परिसर में धूम्रपान या अन्य कोई मादक पदार्थों का सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।

अनुबंध के नियम और शर्तें :-

50. केवल उन्हीं मेस संचालकों पर विचार किया जाएगा जिनका प्रतिष्ठान भोपाल और आसपास के क्षेत्रों (200 किलोमीटर के दायरे में) में है।

51. मेस संचालक को कम से कम लगभग 150 से 200 छात्रों का प्रति दिवस भोजन उपलब्ध करवाने वाले पंजीकृत प्रतिष्ठान में मेस संचालन कार्य का अनुभव होना चाहिए।
52. यदि विश्वविद्यालय अनुबंध में उल्लेखित कार्यकाल से पूर्व अनुबंध समाप्त करना चाहता है, तो मेस संचालक को 1 महीने का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर सकता है। इसी प्रकार मेस संचालक अनुबंध समाप्त होने से पहले मेस छोड़ना चाहता है, तो उसे विश्वविद्यालय प्रशासन को 3 महीने का लिखित नोटिस देना होगा या तब तक जारी रखना होगा जब तक कि अगला मेस संचालक कार्यभार नहीं संभाल लेता।
53. मेस संचालक को अनुबंध की शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

मेस और रसोई में स्वच्छता से संबंधित मुद्दे –

54. मेस व रसोई की साफ-सफाई और रख-रखाव की जिम्मेदारी मेस संचालक की होगी।
55. बर्तन, कटलरी, क्रॉकरी, रसोई उपकरण, फर्नीचर और मेस वाटर कूलर की साफ-सफाई की जिम्मेदारी मेस संचालक की होगी।
56. रसोई और मेस में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव उपाय किए जाने चाहिए। इनमें वॉस बेसिन पर हाथ धोने के लिए पर्याप्त मात्रा में हैंडवॉश, हाथ साफ करने के लिए साफ तौलिये की व्यवस्था एवं मेस कर्मियों के लिए हाथ के दस्ताने, सिर पर टोपी (Hair Netcap), स्वच्छ वर्दी पहनना अनिवार्य है। समय-समय पर मेस समिति/वार्डन/प्रबंधन की सलाह के अनुसार अन्य उपाय करने होंगे। रसोई और मेस क्षेत्र को हर समय साफ रखना मेस संचालक की जिम्मेदारी होगी।
57. मेस कर्मियों के शौचालय में साबुन, तौलिए की व्यवस्था के साथ स्वच्छता बनाए रखना होगा।
58. स्वच्छता एवं भोजन की गुणवत्ता के उच्चतम मानक को बनाए रखने हेतु प्रशिक्षित मेस कर्मियों को उपलब्ध कराये जाये/प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।
59. मेस समिति/वार्डन/प्रबंधन को छात्रावास परिसर की साफ-सफाई और रख-रखाव, प्रावधानों की गुणवत्ता और भोजन की गुणवत्ता की आकस्मिक जांच करने का अधिकार रहेगा।
60. मेस संचालक को अपने खर्चे पर मेस कर्मियों को आवश्यक प्रशिक्षण एवं हर तीन महीने में सभी श्रमिकों की चिकित्सा जांच करानी होगी। फिटनेस के मूल प्रमाण-पत्र में यह दर्शाते हुए कि वे किसी भी संचारी रोग से मुक्त हैं, विश्वविद्यालय को प्रदान करना होगा। मेस संचालक निरीक्षण के लिए मेस में उपलब्ध रहे।
61. **मेस के लिए प्रस्तावित समय सारिणी –** समय का निर्धारण छात्रावास की मेस समिति/वार्डन/विश्वविद्यालय प्रबंधन के निर्णय पर निर्भर करेगा और मेस संचालक इस संबंध में मेस समिति/वार्डन/विश्वविद्यालय प्रबंधन के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

प्रकार	समय	प्रकार	समय
प्रातः नाश्ता	प्रातः 8:00 बजे से 9:30 बजे तक	सांय नाश्ता	सांय 05:30 बजे से 6:30 बजे
दोपहर भोजन	दोपहर 01:00 बजे से 2:30 बजे तक	रात्रि भोजन	रात्रि 08:00 बजे से 9:30 बजे तक

मेनू का सामान्य प्रकार

विस्तृत मेनू मेस समिति/वार्डन/प्रबंधन द्वारा अनुबंध के दौरान दिया जायेगा है। अनुमानित मेनू का प्रकार निम्नलिखित रहेगा:-

सुबह का नाश्ता –

- भारतीय व्यंजन जैसा मीनू में तय किया जाए।

- मक्खन, जैम और केचप के साथ पर्याप्त टोस्टेड ब्राउन ब्रेड और सामान्य ब्रेड (सशुल्क)।
- दूध (200 मिली का एक गिलास) बोरनविटा/कॉमप्लान/हॉर्लिक्स के साथ (200 मिली) (सशुल्क)।
- कॉनपलेक्स/ओट्स/चोकोस/मूसली (सशुल्क)।
- पर्याप्त चाय और कॉफी।

दिन का खाना –

- सभी 7 दिनों में असीमित सादा चावल।
- पर्याप्त चपाती।
- पर्याप्त दाल।
- एक पर्याप्त सब्जी (सप्ताह में तीन बार मौसमी हरी सब्जियां अनिवार्य होगा)।
- पर्याप्त सलाद एवं अचार।
- तला हुआ पापड़ (पर्याप्त)– सप्ताह में 5 दिन, भुना हुआ पापड़– 2 दिन प्रति सप्ताह।
- रायता/सूप।
- निम्बू पानी/जलजीरा/आम पन्ना/छाछ (15 मार्च से 15 जून)।
- पैकड दही/लस्सी (सशुल्क)।

शाम का नाश्ता –

- एक स्नैक आइटम जैसा मीनू में तय किया जाए।
- मक्खन, जैम और केचप के साथ पर्याप्त मात्रा में टोस्ट ब्राउन/सफेद ब्रेड (सशुल्क)।
- सप्ताह के सभी 7 दिनों में पर्याप्त चाय और कॉफी।

रात का खाना –

- सभी 7 दिनों में पर्याप्त सादा चावल।
- पर्याप्त चपाती।
- पर्याप्त दाल।
- एक पर्याप्त सब्जी (सप्ताह में तीन बार मौसमी हरी सब्जियां अनिवार्य होगा)।
- पर्याप्त सलाद व अचार।
- तला हुआ पापड़ (पर्याप्त)– सप्ताह में 5 दिन, भुना हुआ पापड़– 2 दिन प्रति सप्ताह।
- स्वीट डिश (प्रत्येक रविवार)।
- सूप (सर्दियों में 15 नवंबर से 15 मार्च)।
- रायता।
- दही (सशुल्क)।

नोट : 1) यह केवल एक नमूना प्रारूप मेनू है, मेस समिति/वार्डन/प्रबंधन के निर्णयों के आधार पर परिवर्तन संभव है।
2) सशुल्क सामग्री क्या उपलब्ध करायेंगे इसकी सूची एवं उनकी दरें, मात्रा पृथक से संलग्न करें।

भोजन से सम्बंधित नियम –

1. दोपहर के भोजन और रात के खाने के दौरान पर्याप्त सलाद उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें नींबू, हरी मिर्च (कच्ची और तली हुई दोनों) शामिल होंगी। सलाद में टमाटर या प्याज में से कोई एक जरूर होना चाहिए। इसमें प्रत्येक भोजन में निम्नलिखित में से कोई दो शामिल होंगे: खीरा, चुकंदर, गाजर और मूली व सलाद का चयन मेस समिति/वार्डन/प्रबंधन के पास रहेगा।

2. हर भोजन के साथ माउथ फ्रेशनर (सौंफ और चीनी) दिया जाएगा।
3. यदि मेस समिति/वार्डन/प्रबंधन चाहते हैं कि किसी सब्जी/दाल में प्याज या आलू न मिलाया जाए तो इसका पालन किया जाए।
4. मेस समिति/वार्डन/प्रबंधन द्वारा दी गई आवश्यकता के अनुसार मेस में मौसमी पेय परोसा जाना चाहिए।
5. सभी दक्षिण भारतीय व्यंजनों (जैसे इडली, डोसा आदि) के साथ विशेष चटनी और सांभर परोसा जाना चाहिए।
6. पुलाव या बिरयानी जैसे व्यंजनों के साथ रायता परोसा जाये।
7. केचप, मक्खन, जैम, दही और चटनी को उन सभी व्यंजनों के साथ निःशुल्क प्रदान किया जावे जिनकी उन्हें आवश्यकता है और जैसा कि मेनू में तय किया गया है।
8. मेस संचालक को मेस समिति/वार्डन/प्रबंधन के निर्णय के अनुसार साल में दस दिन त्योहारों के अवसरों पर बिना किसी अतिरिक्त लागत के विशेष रात्रि भोजन या दोपहर का भोजन प्रदान करना होगा।
9. उपवास के दिनों में जैसे – नवरात्रि, शिवरात्रि, श्रावण सोमवार आदि में बिना किसी अतिरिक्त लागत के विशेष भोजन (फलाहार इत्यादि) परोसा जाना चाहिए। जोकि मेस समिति/वार्डन/प्रबंधन द्वारा तय किया जाये।
10. भोजन हर समय ताजा एवं गरम परोसा जाना चाहिए।
11. भोजन/नाश्ते के समय पर्याप्त मात्रा में पेपर नैपकीन उपलब्ध कराये जावे।
12. किसी भी रूप में डालडा/वनस्पति घी या हाइड्रोजनीकृत वसा के उपयोग की अनुमति नहीं है जब तक कि मेस कमेटी/वार्डन/प्रबंधन की मंजूरी के साथ इसके लिए लिखित सहमति न दे।
13. चावल/बिरयानी/पुलाव के लिए अलग-अलग क्वालिटी के चावल का इस्तेमाल करना होगा।
14. भोजन टेबल पर हर समय नमक उपलब्ध होना चाहिए।
15. मेस संचालक द्वारा भोजन क्षेत्र की साफ-सफाई हर समय बनाए रखी जाये।
16. नाश्ते में पराठे के साथ हर समय दही (निःशुल्क) परोसा जाये।
17. विशेष परिस्थिति में भोजन नियमित समय के बाद रखे जाने हेतु मेस संचालक को पूर्व सूचित किया जायेगा।
18. सप्ताह में एक दिन सामान्यतः रविवार को विशेष भोजन मेनू अनुसार देना होगा।

अन्य नियम : –

1. स्वास्थ्य खराब होने पर परहेज के भोजन की व्यवस्था हेतु मेस संचालक को सूचना मेस समिति/वार्डन/प्रबंधन द्वारा दी जायेगी तदनुसार मेस संचालक को व्यवस्था करनी होगी।
2. मेस कमेटी/वार्डन/प्रबंधन द्वारा तय किए गए निर्धारित स्थान पर निर्धारित संख्या के अनुसार मेस कर्मचारी रात के समय 10:30 बजे के बाद मेस में रुक सकते हैं।
3. मेस संचालक द्वारा मेस हेतु एक सुपरवाइजर/इंचार्ज तय कर मेस समिति/वार्डन/प्रबंधन को अवगत कराना होगा। जब तक कोई आपात स्थिति न हो तब तक सुपरवाइजर/इंचार्ज के बदलाव के बारे में पहले ही बताना होगा।
5. मेस संचालक को एक शिकायत और सुझाव रजिस्टर रखना होगा और छात्रावास मेस समिति/वार्डन/प्रबंधन के परामर्श से सुधारात्मक उपाय करके हर शिकायत/समस्या का समाधान किया करेंगे।

6. रसोई क्षेत्र, भोजन क्षेत्र और भंडारण क्षेत्र में कीट नियंत्रण मेस संचालक द्वारा प्रत्येक तीन माह में किया जायेगा।
7. 36 घंटों के बाद कोई भी बासी वस्तुएँ गंदगी/डस्टबिन/स्टाकल/फ्रीज में नहीं मिलनी चाहिए। मिलने पर मेस समिति/वार्डन/प्रबंधन के निर्णय के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।
8. जुर्माने/उल्लंघन आदि से संबंधित सभी निर्णयों पर मेस समिति की बैठक में चर्चा की जायेगी। चर्चा उपरांत मेस समिति/वार्डन/प्रबंधन की अनुशंसा के आधार पर जुर्माना वसूला जायेगा।
9. मेस संचालक द्वारा भोजन का नमूना अलग से रखेगा उसे 24 घंटे के बाद ही वार्डन की अनुमति से हटाया जायेगा।

नियमों और शर्तों के उल्लंघन पर प्रस्तावित दंड –

नियमों के उल्लंघन के मामले में मेस संचालक पर निम्नानुसार जुर्माना लगाया जाएगा :-

- काउंटर पर शिकायत रजिस्टर की अनुपलब्धता/छात्रों को शिकायत दर्ज कराने से हतोत्साहित करने पर – रुपये 1000/- (एक हजार रुपये)
- भोजन के साथ पकाए गए कीड़े पाये जाने या भोजन में कीड़े मिलने पर – रुपये 10,000/- (दस हजार रुपये)
- एक सप्ताह में गंदे बर्तनों की तीन या अधिक शिकायतें मिलने पर – रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये)
- यदि भोजन मेस के समय के भीतर खत्म हो जाता है और दोपहर के भोजन और रात के खाने के लिए प्रतीक्षा समय 15 मिनट से अधिक है, तो रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये)
- मेस समिति की अनुमति के बिना किसी भी भोजन के मेनू में परिवर्तन करने पर – रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये)
- श्रमिकों की अनुचित व्यक्तिगत स्वच्छता नाखून, कैप, ग्लब्ज/ एवं उनकी पोशाक और पोशाक या श्रमिकों द्वारा दुर्व्यवहार करने पर – रुपये 1000/- (एक हजार रुपये)
- श्रमिकों की उचित स्वास्थ्य जांच न करने पर – रुपये 2000/- (दो हजार रुपये)
- गैस सिलेंडर, गैस पाइप, बर्नर आदि को अपडेटेड रखना होगा, ऐसा नहीं पाये जाने पर – रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये)
- तली हुई चीजें या कोई भी पका हुआ खाना रखने के लिए अखबार का इस्तेमाल करने पर – रुपये 1000/- (एक हजार रुपये)
- निविदा में प्रदर्शित ब्रांड के अतिरिक्त कोई सामग्री होने पर – रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये)

कृपया ध्यान दें :-

1. खाद्य विषाक्तता पर रुपये 10,000/- (दस हजार रुपये) जुर्माना लगाया जा सकता है, साथ ही अनुबंध रद्द किया जा सकता है और मेस संचालक को काली सूची (Black List) में डाला जा सकता है। उपरोक्त कारण से अनुबंध रद्द होने की स्थिति में संस्थान द्वारा जमा की गई सुरक्षा राशि वापस नहीं की जाएगी।
2. उचित नियंत्रण हेतु मेस समिति की बैठकों (जो हर महीने एक बार आयोजित की जाएगी) में निर्णय लेने के लिए अधिकृत मालिक या उसके प्रतिनिधि की अनुपस्थिति पर मेस संचालक पर 5000/- रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
3. जुर्माने की सूचना मेस संचालक या उनके प्रतिनिधि को दी जायेगी। वार्डन/प्रबंधन की सहमति के बाद जुर्माना लगाया जाएगा।

4. स्वच्छता विफलता की गंभीरता का आकलन और निर्णय मेस समिति/वार्डन/प्रबंधन द्वारा किया जाएगा और उचित जुर्माना लगाया जाएगा।
5. भोजन बनाने में उपयोग की जाने वाली सामग्री सुपरिचित कंपनी की होनी चाहिये। उदाहरण नमक – टाटा, अन्नपूर्णा, पतंजलि इत्यादि। इसकी सूची पृथक से निविदा के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करें।

क्र.	सामग्री का नाम	ब्रांड का नाम
1.	नमक	
2.	तेल	
3.	इंस्टेंट नूडल्स	
4.	मक्खन	
5.	चोकोस	
6.	श्रीखंड	
7.	पनीर	
8.	आइसक्रीम	
9.	चीज	
10.	कस्टर्ड पाउडर	
11.	मसाले	
12.	पिकल / अचार	
13.	स्वादयुक्त पेय	
14.	ब्रेड	
15.	जैम	
16.	जमे हुए दही	
17.	टी	
18.	सोया	
19.	चावल	
20.	हैंडवॉश	
21.	केचप	
22.	आटा	
23.	पापड	
24.	कॉर्नफ्लेक्स	
25.	घी	
26.	दूध	
27.	कॉफी	
28.	जमे हुए मटर	

कैंटरर्स किसी अन्य एफपीओ/एफएसएसआई अनुमोदित ब्रांड का उपयोग केवल तभी कर सकते हैं जब मेस समिति/वार्डन/प्रबंधन द्वारा लिखित रूप में अनुमति दी गई हो।

(निविदाकर्ता की सील मुद्रा सहित हस्ताक्षर)

आवासीय छात्र एवं छात्राओं (बालक एवं कन्या छात्रावास) मेस संचालन (भोजन व्यवस्था) निविदा का तकनीकी विवरण (Technical Detail)

01. फर्म द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों में मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था, बैंक, शासकीय संस्था से यदि मेस संचालन (भोजन व्यवस्था) से संबंधित संस्था का कार्य किया हो, इससे संबंधित आदेश/प्रमाण-पत्र की छाया प्रति प्रमाण स्वरूप संलग्न करें ।
02. संस्था का पिछले तीन वित्तीय वर्षों में न्यूनतम 10 लाख प्रति वर्ष का टर्न ओवर होना अनिवार्य है। फर्म के टर्न ओवर की चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित छायाप्रति अथवा इन वर्षों के अंकक्षित लेखे/बैलेन्स शीट भी संलग्न करें।
03. निविदा में भाग लेने वाली फर्म किसी भी शासकीय संस्था से कभी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। इस बाबत निविदाकर्ता फर्म को मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जो रु. 100/- के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित कर संलग्न करें। (निविदा फार्म में दिए गये प्रारूप अनुसार)
04. निविदा प्रपत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता द्वारा फर्म की मोहर लगाकर सत्यापन हेतु हस्ताक्षर करें। किसी भी प्रपत्र पर फर्म की मोहर एवं हस्ताक्षर न होने पर उसे संलग्न नहीं माना जायेगा। बाद में कोई दस्तावेज झूठा या कूटरचित पाए जाने पर निविदा अमान्य कर दी जाएगी तथा सुरक्षा निधि राशि (EMD) जब्त की जाएगी।
05. निविदा के साथ निम्नांकित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति जिस पर फर्म की सील सहित हस्ताक्षर हो, निविदा के साथ संलग्न करें :-
 - (क) संबंधित क्षेत्र में संस्था का वैद्य पंजीयन (अद्यतन) की छायाप्रति संलग्न करें।
 - (ख) जी.एस.टी. नम्बर। (छायाप्रति संलग्न करें)
 - (ग) पैन कार्ड नम्बर। (छायाप्रति संलग्न करें)
 - (घ) खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) का पंजीयन/गुमास्ता
 - (ङ) पिछले तीन वित्तीय वर्ष का इनकम टैक्स विवरणी प्रमाण-पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।
06. निविदा केवल निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी।
07. वित्तीय दरें सुस्पष्ट अक्षरों में अकों एवं शब्दों में अंकित करें। काँट-छाँट अथवा अपर लेख होने की स्थिति में अमान्य होगी।

(निविदाकर्ता की सील मुद्रा सहित हस्ताक्षर)

शपथ पत्र

(नोटरी से सत्यापित रु. 100/- के स्टाम्प पेपर पर)

मैं द्वारा प्रोपराईटर
मेसर्स निम्नलिखित कथन शपथ
लेकर कहता हूँ कि :-

1. यह कि फर्म को किसी भी शासकीय संस्था/ उपक्रम से कभी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है।
2. यह कि फर्म का किसी भी प्रकार की मेस संचालन कार्य करने के संबंध में कोई कानूनी विवाद न्यायालय में लंबित नहीं है।
3. यह कि फर्म पर किसी शासकीय संस्था/उपक्रम की देनदारी शेष नहीं है।
4. यह कि निविदा में प्रस्तुत अथवा शपथ-पत्र में पाई गई जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरी निविदा को निरस्त करने का अधिकार माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल को होगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता सत्यापित करता हूँ कि मेरे द्वारा निष्पादित उक्त शपथ पत्र के बिन्दु क्रमांक 1 से 4 में वर्णित कथन मेरे निजी ज्ञान व विश्वास के अनुसार पूर्ण सत्य हैं। उपरोक्तानुसार कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरी निविदा को निरस्त किया जा सकेगा।

शपथग्रहिता